

an>

Title: Regarding implementation of Punjab and Haryana Re-organisation Act.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : महोदया, आजादी के बाद पंजाब के साथ बहुत अन्याय हुआ। यह बहुत लंबी कहानी है। आज मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, माननीय गृह मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं, जब पंजाब-हरियाणा री-ऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, उस फार्मूले के तहत वहाँ इम्प्लाइज और ऑफिसर जो रखने थे, उनका 60-40 के २९० में बंटवारा था। पिछले कुछ दिनों में नया सर्वे आया। वहाँ पॉव परसेंट ही पंजाब के ऑफिसर, इम्प्लाइज रह गए हैं और हरियाणा के भी कम हो गए। एक नया यू.टी. कैडर बना दिया गया।

दूसरा, वहाँ जो पंजाबी लैंग्वेज है, 90 परसेंट लोग पंजाबी बोलते हैं, पढ़ते हैं, जबकि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, पंजाबी को सेकेंड लैंग्वेज भी नहीं बनाया गया।

मेरा आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन है कि यह अन्याय पिछले 65 वर्षों से हो रहा है और आज हम आपसे अपेक्षा करते हैं, पहले वंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा था, यह पंजाब को ही मिलना चाहिए। दूसरा, कम से कम वहाँ जो ऑफिसर और इम्प्लाइज हैं, वे तो हमारे ही रहने चाहिए।

इसके साथ ही एक दूसरा महत्वपूर्ण इश्यू है। पंजाब के बहुत सारे नौजवान जो इसक में फंसे हुए हैं, उनके परिवार दिल्ली में रहते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनके परिवारजनों की सेंटिफिकेशन के लिए उनकी जो असली पोजीशन है, रिप्ल फैंक्ट्स हैं, वे उनके परिवारों को दिए जाएं ताकि परिवार सेंटिफाई हो पाएं। धन्यवाद।

HON. SPEAKER: Shri M.B. Rajesh – He is not present here.